न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 03/2024

वादीगण :–

1. बाबूलाल पुत्र मोटाराम
2. श्रीराम पुत्र मोटाराम
3. मीरगादेवी पुत्री मोटाराम
4. सुगनादेवी पुत्री मोटाराम जातियान राईका निवासीगण रावर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बादरराम पुत्र शिवराम जाति देवासी निवासी रावर तहसील बिलाडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादीगण – श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः–** 21/04/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन बेरा (2 बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) आयी हुयी है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या–1 बादरराम पुत्र शिवनाथ जिला जोधपुर की संयुक्त खातेदारी की थी। उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 व० हक व हिस्सा निहित है। संयुक्त खातेदार प्रतिवादी संख्या–1 ने दिनांक 10.02.2014 को खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा (2 बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) मे से 1/4 व० हिस्सा (5/16.76 व० हिस्सा) यानि 5 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैचान वादीगण के पिता मोटाराम को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड वैचाननामा का दस्तावेज दिनांक 10.02.2014 को जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 425 के पृष्ठ संख्या 36, क्रम संख्या 2014000365 पर उप पंजीयक बिलाडा में पंजीयन किया गया। वादीगण द्वारा जब से खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. म. बेरा (2) बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकया 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) मे से 1/4 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 बादरराम पुत्र शिवनाथ जाति देवासी निवासी रावर तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर से दिनांक 10.02.2014 को जरिये वैचान किया, तब से वादीगण का कब्जा व काश्त शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण के पिता मोटाराम ने वैचाननामा के जरिये म्यूटेशन स्वीकृति के लिए तत्कालीन पटवारी हल्का को रजिस्ट्री की नकल दे दी गयी थी तथा वादीगण के पिता मोटाराम इसी विश्वास में रहे कि म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया है। इस कारण वादीगण के पिता मोटाराम ने उपरोक्त बैचानशुदा भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा (2 बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2

कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) मे से 1/4 हिस्से की भूमि के राजस्व रेकर्ड की ओर कभी ध्यान ही नही दिया है। अभी 10 दिन पहले वादीगण के पिता मोटाराम की खरीदशुदा भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने वादीगण को बताया कि उपरोक्त बैचाननामा का आज दिन तक कोई म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नही किया गया है इस कारण उपरोक्त दस्तावेज पुराना होने के कारण राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन स्वीकृत नही किया जा सकता है, इस कारण आप सक्षम न्यायालय में जाकर दावा पेश करे तथा न्यायालय निर्णय के अनुसार आपकी खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज की जायेगी। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा (2 बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) मे से 1ध4 हिस्से की भूमि वादीगण के पिता मोटाराम से प्रतिवादी संख्या-1 बादरराम पुत्र शिवनाथ से दिनांक 10.02.2014 को रजिस्टर्ड वैचाननामा से प्राप्त कर लिया था। इस कारण वादीगण सदभावी खातेदार है तथा रेकर्डेड खातेदार प्रतिवादी संख्या-1 बादरराम पुत्र शिवनाथ के हिस्से व बंटशुदा की खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड वैचाननामा के प्राप्त किया है तथा वैचानशुदा भूमि पर काबिज है। वादीगण के पिता मोटाराम को देहान्त दिनांक 11.11.2017 को हो चुका है। मोटाराम के दो पुत्र बाबूलाल, श्रीराम दो पुत्रीयां मीरगादेवी, सुगनादेवी तथा पत्नी इन्दिरा है, जिसमें से मोटाराम की पत्नी इन्दिरा का देहान्त दिनांक 19.10.2020 को हो चुका है। स्वर्गीय मोटाराम पुत्र जंवताराम के वादीगण के अलावा अन्य कोई प्रथम श्रेणी के वारिसान मौजूद नही है। अतः वादीगण जरिये बैचाननामा दिनांक 10.02.2014 के आधार पर अपनी खातेदारी को घोषित कराने के अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 10.02.2014 को उपरोक्त भूमि को वादीगण के पिता मोटाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद करने पर तथा अभी 10 दिन पूर्व वादीगण अपने पिता मोटाराम का खरीदशुदा भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने पर हल्का पटवारी के पास गये तो हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से मना करने पर पैदा हुआ, जो आज भी निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि वादीगण को ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0162 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा (2) बिस्वा), खसरा नम्बर 641 रकबा 10.8325 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम (66 बीघा 19 बिस्वा) कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टेयर (67 बीघा 1 बिस्वा) मे से 1/4 हिस्से की (5 बीघा) भूमि के खातेदार बादरराम पुत्र शिवनाथ जाति राईका निवासी रावर तहसील बिलाडा से उनकी खातेदारी एवं बंटशुदा भूमि को जरिये रजिस्डर्ट बैचाननामा दिनांक 10.02.2014 को जरिये पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 425 के पृष्ठ संख्या 36, क्रम संख्या 2014000365 के आधार पर वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित किये जाने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर की सीमा में स्थित भूमि खसरा नं. 640 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 641 रकबा 10.8325 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 10.8487 हैक्टयर आई हुई है। पद सं. 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 बादरराम पुत्र शिवनाथ के संयुक्त खातेदारी है, जिसमें 1/4

हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का है। उक्त पद सं. 1 में वर्णित भूमि में संयुक्त खातेदार प्रतिवादी सं. 1 ने अपने 1/4 हिस्से में से 5/16.76 वां हिस्से का बैचान वादीगण के पिता मोटाराम को कर दिया था बैचान दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है। बैचान से लेकर आज दिन तक उक्त भूमि पर कब्जा वादीगण का ही है। वादीगण द्वारा भूलवश इस बैचाननामा का नामा. नहीं भरवाया था न ही पटवारी हल्का द्वारा नामा. दर्ज किया गया था। खातेदार मोटाराम का देहान्त दिनांक 11.11.2017 को हो चुका है। तथा मोटाराम के दो पुत्र बाबूलाल व श्रीराम व दो पुत्रियां मीरगादेवी व सुगनादेवी है। मोटाराम की पत्नी का देहान्त दिनांक 19.10.2020 को हो चुका है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पद सं. 1 में वर्णित भूमि में संयुक्त खातेदार बादरराम पुत्र शिवनाथ के 1/4 हिस्से में से 5/16. 76 वें हिस्सा के बैचाननामा के आधार पर वादीगण 1, 2, 3 व 4 को खातेदार घोषित किये जाने में भूमिधारी सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किया जिससे वादी साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम रावर के खसरा नंबर 640 व खसरा नंबर 641 पूर्व में बादरराम पुत्र शिवनाथ के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। उसके बाद बादरराम पुत्र शिवनाथ द्वारा दिनांक 10.02.2014 को खसरा नंबर 640 व खसरा नंबर 641 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान मोटाराम पुत्र जंवताराम जाति देवासी के नाम निष्पादित किया गया। जिसका नामा.सं. 1462 भरा गया था जो ग्राम पंचायत रावर द्वारा स्वीकृत किया गया था। वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 10.02.2014 जिल्द सं. 425 के पृष्ठ संख्या 36, क्रम सं. 2014000365 के आधार पर खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित करवाने के लिए वाद पेश किया गया किन्तु फार्म नं. 3 के साथ संलग्न नामान्तरकरण सं. 1462 का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत रावर द्वारा दिनांक 04.03.2014 की ग्राम पंचायत की बैठक में सर्व सहमति से स्वीकृत कर दिया गया था अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्व में ही प्राप्त हो जाने से वादीगण का वादपत्र चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

:–आदेश–:

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- बाबूलाल

बनाम

प्रतिवादीगण :- बादरराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- **83/2024**

दिनांक :- 21/4/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई। 21/4/2025

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवंउपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा